विचार बिन्दु

असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देती है।
–हरिभाऊ उपाध्याय

संविधान की उद्देशिका में जोड़े गये दो शब्द "समाजवादी" व "धर्मनिरपेक्ष" को हटाना आवश्यक नहीं है, उनके अर्थ को स्पष्ट करना पर्याप्त है

संविधान सभा का विधिवत कार्य दिनांक 9 दिसम्बर, 1946 से प्रारम्भ हुआ। कुछ दिन सत्र चलने के बाद नेहरूजी ने 13 दिसम्बर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इसमें एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। इसके अनुसार प्रभुता जनता के हाथों में दी थी। इस प्रस्ताव को दिनांक 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया और अपने आपको अर्पित किया। दिनांक 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ। चूंकि हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज है तथा इसमें प्रत्येक अंग की शक्तियों तथा उसके कार्यों की परिभाषा है तथा सीमा निर्धारित है इसलिये संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला करार देकर अवैध व अमान्य घोषित कर सकता है और संसद भी कतिपय प्रतिबंधों के साथ संविधान में संशोधन कर सकती है।

संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट विभिन्न संकल्पनाओं तथा शब्दों से यह कहा जा सकता है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गरिमामय शब्द भारत के संविधान के सारांश, दर्शन, आदर्शों और उसकी आत्मा का निरूपण करते हैं। इसमें वर्णित कुछ ऐसी बुनियादी विशेषतायें हैं, उनके बाबत सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि जिन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी संशोधन द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। संवैधानिक संशोधन से उद्देशिका में कुछ शब्द, जैसे 'समजावादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' जोडे गये हैं। इनके बाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में जेरकार है कि क्या ऐसा संशोधन वैध है? संवैधानिक कानून के विद्वान सुभाष कश्यप का मानना है कि ये शब्द बहुत ही अस्पष्ट हैं और संविधान में इनकी सही सही परिभाषा न होने से हमारी राज्य व्यवस्था को काफी दिक्कत का सामना करना पडा है। इसलिये उचित यही है कि एक संविधान संशोधन के द्वारा इनकी परिभाषा कर दी जावे। (इसके विश्लेषण विवेचन के लिये देखिये कश्यपजी की पुस्तक "दि फ्रेमिंग ऑफ इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन"।

माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ जिसके न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायाधीश संजय कुमार हैं, के समक्ष तीन याचिकायें पेन्डिंग हैं, जिन्हें पिटीशनर बलराम सिंह, डाक्टर सुब्रामण्यम स्वामी व अश्वनी कुमार एडवोकेट द्वारा दायर किया गया। इनके द्वारा पिटीशनर्स ने प्रियम्बल में किये गये संशोधन को चुनौती दी है। संशोधन द्वारा प्रियम्बल (उद्देशिका) में दो नये शब्द Socialist व Secular को जोड़ा गया था। तीनों पिटीशन्स के विवरण निम्न प्रकार हैं:–

1) बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया WP(C) NO. 643 OF 2020
2) डा. सुब्रामण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया WP(C) NO. 1467 OF 2020
3) अश्वनी उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया MA 835 OF 2024A

माननीय खण्डपीठ के समक्ष बलराम सिंह पिटीशनर के एडवोकेट विष्णुशंकर जैन की बहस थी कि डाक्टर अम्बेडकर का मत था कि शब्द Socialistic के जोडे जाने से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विपरीत असर पडेग़ा। एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने बहस में कहा कि भारत तो सदां से ही Secular रहा है। डाक्टर स्वामी ने अपनी बहस में कहा कि जो शब्द जोडे गये हैं Jes Arbitrary (विवेक शून्य) हैं। प्रियम्बल से यही निष्कर्ष निकलता है कि 26.11.1949 को ही भारत Socialistic Seculiar था।

विष्णुशंकर जैन एडवोकेट, अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट और सुब्रामण्यम स्वामी की प्रारम्भिक बहस के समय जस्टिस खन्ना का Response (प्रतिक्रिया) थी कि उक्त संशोधन 1976 का है और जो शब्द जोडे गये हैं उन्हें Brackets के घेरे में दर्शाया है। जस्टिस खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि "Unity" व "Integrity" शब्दों को भी वाद में संशोधन से जोडा गया था इस पर एडवोकेट ने अश्वनी कुमार से अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि Democratic शब्द जो प्रियम्बल में है उसे कभी भी हटाया जा सकता है इसका विपरीत असर होगा।

संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचार धारा या वाद विशेष से जुडा हो। इसलिये वे अन्य बातों के साथ साथ समाजवाद के किसी उल्लेख को सम्मिलित करने के लिये सहमत नहीं हुये। उन्होंने 'समाजवाद' शब्द की परिभाषा भी संविधान में नहीं की। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने सही कहा है कि 'संविधान (45वें संशोधन) विधेयक में 'समाजवादी' की परिभाषा देने का प्रयास किया था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

उपरोक्त छोटे से प्रसंग से यह स्पष्ट है कि केस आसान नहीं है और समस्या के हल के लिये पूरी बहस की आवश्यकता है। केस में अब 18.11.2024 की तारीख नियत है। केस में कई संवैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं। केस के पक्षकारों की प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ढूँढा जायेगा :-

1) क्या उद्देशिका (Preamble) संविधान का एक भाग है?
2) क्या संविधान की उद्देशिका (Preamble) का संशोधन (Amendment) हो सकता है?
3) क्या उद्देशिका में दो शब्द Socialistic व Secular संशोधन द्वारा जोडे गये हैं, उनकी आवश्यकता थी?
4) क्या Secularism संविधान के बुनियादी विशेषता (Basic Structure) का भाग है?
5) क्या उद्देशिका में प्रयोग में लाये गये 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द स्वयं में अस्पष्ट हैं अत: संविधान संशोधन के द्वारा उनकी परिभाषा करने से समस्या का निदान हो सकता है?

प्रश्न बहुत हैं उलझे हुये भी हैं और संविधान के Interpretation से संबंध रखते हैं। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से अनूठा है। यह अनम्य तथा नम्य परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय तथा संसदीय रूपों का समिश्रण है। बेरूवाडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। उद्देशिका संविधान की विशेषताओं का निचोड है। परन्तु न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ के केस में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने विचार व्यक्त किया कि वह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है।

केशवानंद भारतीय के केस में बहुमत के न्यायाधीशों का मानना था कि उद्देशिका संविधान का अंग है। जस्टिस सीकरी ने माना कि उद्देशिका एक अंग ही नहीं है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। उनका अभिमत था कि उद्देशिका में ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे उसके बुनियादी स्वरूप में परिवर्तन हो।

यह भी एक महत्वपूर्ण घटना ही है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से आपात स्थिति के समय 'समाजवाद' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोडे गये थे। साथ ही राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता कर दिये गये। इसका कारण यह था कि कानून निर्माताओं के अनुसार समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता (पंथ निरपेक्षता) और राष्ट्रीय एकता उद्देशिका में तथा मूल स्वरूप में निर्मित संविधान के शेष भागों में पहले ही से अन्तर्निहित थे। बोम्मई के केस में जस्टिस रामास्वामी ने कहा, उद्देशिका संविधान का अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनरार्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में हैं।

उपरोक्त तीनों केसों की अपूर्ण बहस सुनने के समय माननीय खण्डपीठ सुप्रीम कोर्ट का मत (View) सम्भवत: उपरोक्त कथन के आधार पर रहा होगा। उनके विचारों में प्रतिबद्धता निम्नलिखित उद्दात्त मूल्यों के हेतु है, जिन्हें उद्देशिका में पढ़ा जा सकता है, समझाया जा सकता है:–

सम्प्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्यीय स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता।

यहाँ विवाद दो शब्दों के उद्देशिका में जोडे जाने का है, वे हैं 'समाजवाद' व 'धर्मनिरपेक्षता'।

समाजवाद:– संविधान के निर्माताओं में कुछ जाने माने विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति महान न्यायविद्, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। उद्देशिका में कहा गया है 'हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने और उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प करते हैं। न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सम्मिलित हैं, और समानता का अर्थ है प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता"।

संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचार धारा या वाद विशेष से जुडा हो। इसलिये वे अन्य बातों के साथ साथ समाजवाद के किसी उल्लेख को सम्मिलित करने के लिये सहमत नहीं हुये। उन्होंने 'समाजवाद' शब्द की परिभाषा भी संविधान में नहीं की। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने सही कहा है कि 'संविधान (45वें संशोधन) विधेयक में 'समाजवादी' की परिभाषा देने का प्रयास किया था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

धर्मनिरपेक्षता:– समाजवादी शब्द की तरह धर्मनिरपेक्षता शब्द भी उद्देशिका में नहीं था। इस शब्द को सर्व धर्म समभाव के अर्थ के रूप में समझने का प्रयास किया गया है। जस्टिस गजेन्द्र गड़कर ने धर्म निरपेक्षता की परिभाषा करते हुये यह माना है कि सभी नागरिकों को नागरिक के रूप में समान अधिकार प्राप्त हों। इस मामले में उनका पंथ या मजहब पूर्णतया अप्रासंगिक है वह सभी पंथों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। वस्तुत: धर्मनिपरेक्ष राज्य के अधीन सभी नागरिकों के साथ एकसा व्यवहार होना चाहिये अर्थात् उनके धर्म के कारण उनके साथ भेदभाव न हो। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेज में यह माना है कि सेक्यूलर शब्द बुनियादी विशेषता के रूप में पहले ही से विद्यमान है। अधिकांश न्यायाधीशों का मत है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के स्थान पर, इस शब्द की परिभाषा संविधान संशोधन द्वारा कर दी जावे और व्यवस्था हो कि कोई भी दल राजनीतिक प्रयोजन हेतु धर्म का दुरूपयोग न कर पाये।

माननीय खण्डपीठ ने न्यायाधीशों ने केस की सुनवाई के समय जो Observation (प्रतिक्रिया) दी थी, जिसका उल्लेख ऊपर किया है उसी को अपने निर्णय का आधार माने, माननीय खण्डपीठ स्वयं ही दोनों शब्दों की परिभाषा कर दे अथवा यूनियन ऑफ इण्डिया को निर्देशन दिया जावे कि उचित संविधान संशोधन के द्वारा उनकी परिभाषा की जाने की प्रक्रिया अपनाई जावे। इस प्रकार न तो उपरोक्त प्रश्नों के निर्णय की और न पांच जजों की संविधान पीठ के गठन की आवश्यकता ही होगी।

भारत के लोगों की जय हो!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

पुराने जमाने के जोकर, विलन बनाम आज के जनप्रतिनिधि

महावीर सिंह

छोटे कस्बे का एक आदमी बड़े शहर के एक व्यस्त चौराहे पर, पॉपुलर चाय की दुकान पर पहुंच गया। वहां 8,10 लोग, चाय की चुस्कियों के साथ, नए-पुराने हास्य अभिनेताओं के डायलॉग्स बोल कर ठहाके लगा रहे थे। जॉनी वाकर, महमूद, परेश रावल, असरानी, जसपाल भट्टी को खूब याद किया जा रहा था--"सुन बच्चे सुन, इस चम्मच में बड़े-बड़े गन से लेकर असरानी के"आधे इधर, आधे उधर, बाकी बचे वो मेरे पीछे--"पर लोग हंस-हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। जसपाल भट्टि की जनप्रतिनिधि/एमएलए खरीदने-बेचने की दुकान की भी खूब चर्चा हुई। तभी एक बीच में बोल पड़ा, यह भी कोई हास्य कलाकार थे--यह सब तो हमारे आज के छोटे, बड़े से बड़े नेताओं के पासंग में भी नही आते।

अब देखो एक शहर की सरकार में विपक्ष नें पक्ष को चित कर दिया। जो पक्ष में थे उनको विपक्ष में लिया सो लिया पर गंगाजल से उन पर छिड़काव कर, उनका 100 प्रतिशत शुद्धिकरण करने के बाद ही लिया। यों ले लेते तो उनके सम्पर्क में आकर उनके वाले गंगाजल जैसे पवित्र प्रतिनिधि भी महिषासुर जैसे दुष्ट-पापी -कलुषित नहीं हो जाते। अब आगे आप किसी भी अपवित्र वस्तु, आदमी को गंगाजल की चार बूंदों से पवित्र कर सकते हो।

एक मसखरा बीच में बोल पड़ा–देखो, गंगाजल तो हरिद्वार, गढ़गणेश या दूसरे धर्मस्थलों से लोग लाते है। हर जगह, हर समय प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता। इसका विकल्प है गौमूत्र। लोकल लेवल पर ही खूब मिल जाएगा और दो बूंदे छिड़कने के बजाय ऐसे अपवित्र-भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को पूरा स्नान ही कराओ।

कुछ हंस लिए, 2,5 की भौवे भी तनी किन्तु तनातनी नहीं हुई। उनमें से एक कि व्यथा थी कि गौमूत्र से शुद्धिकरण पर कुछ नासमझ, अधर्मी, ग़ैरसनातनी लोग बड़ी भद्दी भद्दी, नाकाबिले बर्दास्त टिका टिप्पणीयां करते है। मेरा तो सुझाव है कि गोमूत्र की, जिस लैबोरेटरी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध-अपवित्र प्रसाद की जांच रिपोर्ट बनाई, वहां से केमिकल अनलेसिस रिपोर्ट मंगवाओ और जारी करो। उन्हें बताओ उसमें कौन-कौन से अमृत जैसे रसायन है। यह रिपोर्ट गैर सनातनियों के मुंह पर दे मारो, रोज रोज के झगड़े-टण्टे-तानाकसी सदा के लिए बंद हो। एक सज्जन बोल पड़ा कि उसने कोई 5-4 साल पहले सोशल मिडिया में पढा था कि गौमूत्र में स्वर्ण भी होता है।

बात गाय पर कुछ लंबी चली तो अब तक चुप एक धीर-गम्भीर गोलमटोल तोंद वाले सज्जन बोल पड़े– गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए यहां भी कुछ आन्दोलन सान्दोलन होना ही चाहिए। कुछ प्रदेशों की अत्यंत प्रगतिशील सनातनी सरकारों नें तो ऐसा कर भी दिया और अब दूसरों को भी देर-सवेर करना ही पड़ेगा। ओर देखो, जब ऊंट को राज्य पशु का दर्ज है तो गाय का तो उस से पहले हक बनता है ही--कहाँ ऊंट, कहाँ गाय जिस में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। एक सज्जन जरा जोर लगा कर बोला–देखे हैं क्या तुमने? दूसरा भी उतने ही जोर से बोला हाँ, कुछ दिन पहले ही एक जोतगी गाय लिए घूम रहा था, उस पर हजारों की संख्या में छापे हुए थे। बात चलते-चलते गायों की बॉर्डर पर तस्करी और कत्ल की भी चल पड़ी।

किसी नें समाधान भी सुझा दिया--बॉर्डर पर सेना-पुलिस सरकार की तैनात, बंदरगाह सरकार के तो फिर सरकार चाहे तो तस्करी फटाफट रोक सकती है। और गौकस्सी रोकना तो बांए हाथ का खेल है, सारे गौकत्लखाने बंद करो, तस्करों को सरसरी कोर्ट सुनवाई की फ़ोर्मलटी पूरी करो और दे दो उम्रकैद की सजा। और ऐसे कानून फटाफट बनाना तो आजकल सभी सरकारों के बांए हाथ का खेल है ही। बताओ इससे सस्ता-शीघ्र समाधान क्या होगा? एक भाई नें थोड़ा विषयांतर किया ओर कहने लगा कि अभी कुछ राज्यों में विधान सभा के लिए व यूपी आदि में कुछ सीटों के लिए उप चुनाव हो रहे है। जिस प्रकार के जुमले-नारे घड़े और बोले जा रहे है उनके आगे को पुरानी फिल्मों के, हास्य कलाकार तो छोड़ो विलन भी कुछ नहीं।

जैसे---(वो (कौन?) वोट जिहाद कर रहे हैं, तुम (कौन?) नही करोगे तो रोओगे। बंटोगे तो कटोगे---कौन बंटेगा, कौन कटेगा, कौन काटेगा, समझदार को इशारा बहुत, इसलिए जोकर/विलन बने नेता, इसके आगे मुंह के ताला लगा लेते हैं)।

ओर सुनो बानगी दोनों ओर की (बंटे थे तब कटे थे बनाम बांटने वाले भी तुम, काटने वाले भी तुम--कब बंटे, कब कटे?) (अब न बंटेंगे, न काटेंगे, अब बांटने वालों को पीटेंगे)(न बंटेंगे, न कटेंगे, बांटने वालों के मुंह पर ताला जड़ेंगे---कुछ ज्यादा शूरवीर टाइप थोड़ा यों कह देंगे--बांटने वालों का मुंह तोड़ेंगे)। (कोई एक थप्पड़ मारे-उसके सो थप्पड़ मारो, टोपी-पजामें से उनको पहचानों, अपनी गाय-भैसों-बहु-बेटियों, मंगल सूत्रों की उनसे रक्षा करो---ओर पता नही क्या क्या उलूल-जुलूल बकते है??) (वो देश की एकता तोड़ रहे है -वो सँविधान खत्म कर रहे है है। वो सँविधान की आड़ में समाज एकता तोड़ रहे है, बांट रहे है-वो जातीय आंकड़े छुपा कर जातियों का हक मारना चाहते--)

कौन किस पद पर सँविधान की क्या शपथ लेकर कुर्सियां तोड़ रहे है, इसकी तिनके बराबर भी परवाह किए बिना जिसकी विशाल बुद्धि में जो अनुपम, प्रात: उच्चारणीय ब्रह्मवाक्य आ रहे है सो उगल रहे है--

एक प्रात: स्मरणीय मठाधीस नें बोला-विरोधी देश को भाषा, क्षेत्र, जाती के आधार पर बांट जा रहे है--ऐसा दुर्योधन, रावण का वाले कर रहे हैं, उन्होंने त्रेता में भी ऐसा किया था। एक मसखरा बोल पड़ा--और कुछ हो या न हो, यह तो तय है कि रावण व दुर्योधन का डीएनए सुरक्षित है और आज की परिस्थितियों में अत्यंत बहुमूल्य तो है ही?? अगर कोई इस कोमोडिटी के व्यापार का एकाधिकार ले सके तो उसके तो, भाई, उसके तो वारे न्यारे होजाएँ।

एक शांत गम्भीर सज्जन भी यों बोले–टीवी पर इन जोकरों की डिबेट सुनो---

10 साल से तुमने यह किया? वो किया--20 साल पहले तुम नें भी यह किया--आज की समस्याओं की जड़ तुम्हारे एक स्वर्गवासी मन्द बुद्धि नेता और उसके खानदान की बुद्धिविहीन वंशजों की देन है--तुम्हारे नेताओं का भी इतिहास पढोगे तो महाभ्रष्टचार, दुराचारों, व्यभिचारों की व अंग्रेजों की मुखबिरी की कहानियों से ही भरा पड़ा है--

अभी समर शेष है, हमारे ऐसे कर्णधारों, शसकों से बड़ा कोई जोकर, विलन ध्यान में आये तो बताना, खोज जारी है।

दिमाग पर ज्यादा लोड मत डालना, अहमदे को मेंहमदा मिलता आया है, समय पर इन सब को भी मिलेगा--चलते चलते हंस लो

एक आदमी नकली नोट छापता था और पंद्रह रूपये का नोट छाप दिया। चालक बंदा था, उसने सोचा, गांव में जाकर चलाते है सो वहां जाकर एक गड़रियों को भुलाणे लगा-गड़रिया बोला यह नोट ले तो लूँगा पर पैसे कुछ कम है। शहर वाला होशियार बंदा बोला कोई बात नही, चलेगा। गड़रिये ने पॉकिट से सात-सात के दो नोट देकर 15 वाला ले लिया। वैसे आम आदमी समाधान खोज ही लेता है, सुनिए आँखन देखी--

एक बिल्ली रास्ता काट गयी। चलता आदमी ठिठका। सामने एक पत्थर था। उसने लात मारी, चूक गया, फिर थोड़ी जोर से मारी, पत्थर नही हटा, तीसरे प्रयास में ठोकर से पत्थर उस लाइन के पर चला गया, जहां से बिल्ली निकली थी। आदमी खुश, खराब सूण खत्म हुआ और वह भी चला गया।

अब, भगवती चरण जी कितनी ही 'बिल्ली मारने पर प्रायश्चित' जैसी कहानियां लिखें--आम आदमी के अपने समाधान। 15 का नकली नोट 7,7 के नकली नोट देकर खरीदे या फिर बिल्ली के रास्ता काटने पर उपर वाला नुस्खा अपना कर।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की कल से झंडारोहण के साथ शुरुआत होगी

पुष्कर, (निसं)। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की कल से झंडारोहण के साथ शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर, गजल सम्राट अनूप जलोटा नृत्यांगना गुलाबो सफेरा अपना जलवा बिखेरेंगे। इसके साथ ही अनिरुद्ध वर्मा का फ्यूजन म्यूजिक अनवर खान का डेजर्ट सेंफनी, गौतम काले का क्लासिकल म्यूजिक, मधु भट्ट का द्रुपद गायन मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा।

12 नवंबर को अनूप जलोटा मेला मैदान में शमा बांधेंगे तो 13 नवंबर को गुलाबो सपेरा अपनी नृत्य कला का जलवा बिखेरेंगी, वही 14 नवंबर सूफी गायक कैलाश खेर भजनों की सरिता बहाएंगे। इसके साथ ही रविवार को अनिरुद्ध वर्मा का फ्यूजन म्यूजिक सोमवार को अनवर खान का डेजर्ट सेंफनी मंगलवार को गौतम काले का क्लासिकल भजन व बुधवार को मधु भट्ट का द्रुपद गायन लोगों को भक्ति रसपान कराएंगे। इसके अलावा शनिवार से मेला मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताएं व रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा, जिसमे देशी विदेशी सैलानियों के साथ मैच खेलकूद व अन्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

मेले के दौरान सजे पुष्कर के बाजार।

- **मेला मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताएं व रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा**
- **देशी-विदेशी सैलानियों के साथ मैच, खेलकूद व अन्य प्रतियोगितायें आयोजित होंगी**

मेला का कार्यक्रम जारी:- 9 नवंबर 9 बजे पूजा, ध्वजारोहण अजय रावत पुष्कर द्वारा, सांस्कृतिक ऊंट मार्च, नगाड़ा वादन, रेत कला प्रदर्शन, 9:30 बजे मांडणा प्रतियोगिता, नृत्य प्रस्तुति स्कूली छात्राओं द्वारा, 10 बजे चक दे राजस्थान फुटबाल मैच स्थानीय बनाम विदेशी, शाम 6 बजे दीपदान, रंगोली, आरती व पुष्कर अभिषेक तथा 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

फ्यूजन म्यूजिक 10 को:- 10 नवम्बर को 10 बजे लंगड़ी टांग प्रतियोगिता, सतोलिया, गिल्ली डंडा स्थानीय बनाम विदेशी, 11:30 ऊंट शृंगार प्रतियोगिता, 12 बजे ऊंट नृत्य प्रतियोगिता, 7 बजे शाम फ्यूजन म्यूजिक अनिरूद्ध वर्मा मुम्बई द्वारा, इसी प्रकार 11 नवम्बर 10 बजे कबड्डी मैच स्थानीय बनाम विदेशी, 11:30 बजे अश्व नृत्य प्रतियोगिता, एक बजे अन्तर पंचायत समिति ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, 7 डेजर्ट सिम्फनी पदमश्री अनवर खां द्वारा।

आध्यात्मिक पदयात्रा 12 को:- 12 नवम्बर 9 बजे आध्यात्मिक पदयात्रा, 10 बजे अश्व वंश मादा प्रतियोगिता, 4 बजे शिल्पग्राम हैडी क्राफ्ट बाजार 5 बजे गीर प्रदर्शनी, 5:30 बजे विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, 5:30 बजे भजन व क्लासिकल म्यूजिक गौतम काले इन्दौर द्वारा, 7 बजे भजन संध्या पदमश्री अनूप जलोटा द्वारा। 13 नवम्बर 6 बजे प्रथम दुहारी, 9 बजे अश्व वंश नर प्रतियोगिता, 9 बजे लगान क्रिकेट मैच, 9 बजे संकर गौवंश नस्ल प्रतियोगिता, 11 शान ए मूंछ प्रतियोगिता, 11:30 साफा व तिलक प्रतियोगिता विदेशी युगल, एक गीर गौवंश नस्ल प्रतियोगिता व अंतर पंचायत समिति ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता फाइनल, 3 भैंस वंश नस्ल प्रतियोगिता, 5:30 द्रूपद गायन मधु भट्ट तैलगं द्वारा, शाम 6 द्वितीय दुहारी, 7 सांस्कृतिक कार्यक्रम बेस्ट ऑफ राजस्थान पद्मश्री गुलाबो सपेरा द्वारा तथा 14 नवंबर 6 तृतीय दुआरी, 9 ऊंट व सर्वश्रेष्ठ मेला पशु प्रतियोगिता, 10:30 मटका दौड़ प्रतियोगिता, 11:30 संगीतमय कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, 4 बजे रेत कला प्रतियोगिता अजय रावत पुष्कर द्वारा, 4 बजे तीव्र दुहारी प्रतियोगिता, 6 बजे महाआरती, 7 बजे मेगा नाईट कैलाश खेर की। 15 नवम्बर 9 बजे पुरस्कार वितरण समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम, पशु परेड, लोक कलाकार एवं ऊँट परेड, चम्मच दौड़, रस्साकशी, मटका दौड़ आदि शाम 6 आरती होगी।

प्राध्यापक-विद्यालय (संस्कृत शिक्षा विभाग) परीक्षा 17 से

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक-विद्यालय (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन आगामी 17 से 21 नवंबर तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग की संयुक्त सचिव ऋषिबाला श्रीमाली ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 8 विषयों के लिए प्राध्यापक-विद्यालय के कुल 52 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 25 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। इस परीक्षा के तहत जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज विषय की परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2024 को सुबह 10 से 11.30 बजे तक किया जाएगा।

ऐच्छिक विषयों की परीक्षाओं का आयोजन में हिन्दी 18 नवंबर 2024 सुबह 9 से 12 बजे तक, इतिहास 18 नवंबर दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक, राजनीति विज्ञान 19 नवंबर सुबह 9 से 12 बजे तक, इंग्लिश 19 नवंबर दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक, यजुर्वेद 20 नवंबर सुबह 9 से 12 बजे तक, जनरल ग्रामर 20 नवंबर दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक, ग्रामर 21 नवंबर सुबह 9 से 12 बजे तक, लिटरेचर 21 नवंबर दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक। अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 10 नवंबर 2024 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर 14 नवंबर 2024 को जारी किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लेवें। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे।

राशिफल शुक्रवार 8 नवम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन 12:03 तक, शूल योग प्रात: 8:27 तक, गर करण दिन 12:16 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 12:03 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 12:03 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 11:57 से आरम्भ होगी। आज कल्पादि, डाला छठ पर्व पर उदयगामी सूर्य को अर्ध्य और अष्टानिका महापर्व आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:07 तक, लाभ-अमृत 8:07 से 10:49 तक, शुभ 12:10 से 1:32 तक, चर 4:14 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:45, सूर्यास्त 5:36

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। दिनचर्या में सुधार होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

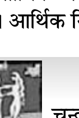

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
घर-परिवार में शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

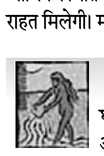

मकर
व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

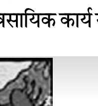

तुला
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। व्यावसायिक मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा।

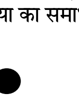

कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक
व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

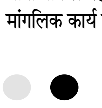

मीन
आर्थिक/वित्तिय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में शुभ-धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।